रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 1975/अग्रहायण 29, 1897
No. 335] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1975/AGRAHAYANA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1975

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. G.S.R. 555(E), dated the 12th November, 1975, the Central Government hereby directs that all the powers exercisable by it under the said Act may also be exercised by the following persons, namely :—

1. Shri R. N. Sharma, Vice-Chairman and Managing Director, Bharat Cocking Coal Ltd., Dhanbad.
2. Shri B. L. Wadehra, Managing Director, Central Coalfields Ltd., Ranchi.
3. Shri Ramaiyajee Varma, Managing Director, Eastern Coalfields Ltd., Sanctoria.
4. Shri C. Balram, Managing Director, Western Coalfields Ltd., Nagpur.
5. Shri R. C. Sekhar, Chief Controller of Accounts, Coal India Ltd., Calcutta.
6. Shri D Mukherjee, Additional Controller of Accounts, Coal India Ltd., Calcutta.
7. Shri S. Roy, Controller of Accounts, Coal India Ltd., Calcutta.
8. Shri R. Sengupta, Controller of Accounts, Coal India Ltd., Calcutta.
9. Shri P. P. Parameswaran, Controller of Accounts, Coal India Ltd., Calcutta.
10. Shri S. C Mallik, Chief Accounts Officer, Central Coalfields Ltd., Ranchi.

[No F. 101 (18)/73-C3/CAF]

S B. LAL, Jt Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1975

सा० का० नि० 588(अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 555 (ई), दि० 12-11-75 के क्रम में केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम में उल्लिखित सभी अधिकारों का निम्नलिखित व्यक्ति भी प्रयोग कर सकेंगे, अर्थात् :—

(1) श्री आर० एन० शर्मा, उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद ।

(2) श्री बी० एल० वडेरा, प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोल्ड फील्ड लि०, रांची ।

(3) श्री रमैय्याजी वर्मा, प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लि०, सेंक्टोरिया ।

(4) श्री सी० बलराम, प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लि०, नागपुर ।

(5) श्री आर० सी० शेखर, नियंत्रक, कोल इंडिया लि०, कलकत्ता ।

(6) श्री डी० मुखर्जी, अपर लेखा नियंत्रक, कोल इंडिया लि०, कलकत्ता ।

(7) श्री एस० राय०, लेखा नियंत्रक, कोल इंडिया लि०, कलकत्ता ।

(8) श्री आर० सेनगुप्ता, लेखा नियंत्रक, कोल इंडिया लि०, कलकत्ता ।

(9) श्री पी० पी० परमेश्वरन, लेखा नियंत्रक, कोल इंडिया लि०, कलकत्ता ।

(10) श्री एस० सी० मलिक, मुख्य लेखा अधिकारी, सेंट्रल कोल्ड फील्ड लि०, रांची ।

[सं० फा० 101(18)73-सी 3/सी ए एफ]

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975